हमारी बात

अप्रैल 1993 में देश के संविधान में 73वां संशोधन किया गया। इसे पंचायती राज अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अनुसार औरतों को गांव पंचायत, ब्लाक व ज़िले की गतिविधियों व व्यवस्था में साझीदारी देने की ओर बड़ा कदम उठाया गया है। अब ग्राम पंचायत, ब्लाक (पंचायत समिति) और ज़िला परिषद की कुल सदस्यों की एक-तिहाई संख्या अनिवार्य रूप से औरतों की होगी। यह आरक्षण केवल सदस्य संख्या तक सीमित नहीं। तीनों स्तरों (पंचायत, ब्लाक व ज़िला परिषद) पर एक-तिहाई अध्यक्ष पद भी औरतों के लिए आरक्षित होंगे।

कानून ने औरतों को हक तो दे दिया, लेकिन उसका लाभ उठाने की जिम्मेदारी औरतों पर छोड़ दी है। संभव है ताने कसे जाएं कि चूल्हे-चक्की वाली औरतें व्यवस्था या सरकारी दफ्तरों से व्यवहार क्या जानें? यह बात सही नहीं है।

जिस तरह किसी भी गांव में कुछ ही पुरुष व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने की कुशलता रखते हैं, हर पुरुष नहीं, उसी तरह गांव या अन्य क्षेत्र में कुछ औरतें ऐसी अवश्य मिल जाएंगी जो जिम्मेदारी निभा सकती हैं। वे पढ़ी-लिखी होंगी, समझदार होंगी और अपनी बात कहने में पटु होंगी।

इस समय भी पंचायतों, ब्लाक समितियों और ज़िला परिषदों में कुछ औरतें मनोनीत सदस्य बनाई जाती हैं। पर यह सब खानापूरी के लिए होता है। औरतों को मीटिंगों में बुलाया भी नहीं जाता। मीटिंग के बाद उनके घरों पर ही कार्रवाई रजिस्टर पर उनके अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। यह सही भागीदारी नहीं है। **सही भागीदारी तब होगी जब सक्षम औरतें चुनाव लड़ कर आएंगी और पंचायत, ब्लाक व ज़िला अध्यक्ष के पद संभालेंगी। ज़ाहिर है तब उनके दरवाजे पर पुरुष भी गुहार लगाएंगे।**

संविधान के 73वें संशोधन से औरतों को अपनी मांगें मनवाने का मौका मिला है। कौन नहीं जानता कि दूर-दूर से सिर पर पीने का पानी ढोने का बोझ औरतों को उठाना पड़ता है। पंचायतों की मीटिंगों में बैठ या सरपंच/प्रधान बन कर सबसे पहला काम वे यह कर सकती हैं कि उनके गांव में पानी का समुचित प्रबंध हो। यदि ऐसा हुआ तो औरतों को भारी राहत मिलेगी। दूसरे, गांवों में शौचालय न होने से औरतों को भारी दिक्कत उठानी पड़ती है। इस समस्या का समाधान ढूंढने में भी औरतें पहल कर सकेंगी। तीसरे, गांव समाज की जमीन के वितरण को लेकर भारी धांधलेबाजी होती रही है। सरपंच अपनों-अपनों को ही सीरनी बांट देता है। औरतें इस ओर भी न्यायपूर्ण कदम उठा सकेंगी।

बहनों को याद रखना होगा कि उन्हें इस संशोधन का लाभ तभी मिलेगा जब वे संगठित होंगी और पुरुषों के मोहरे नहीं बनेंगी। जमाना तेजी से बदल रहा है। बीते कल या आज की अबला आने वाले कल की सबला बन नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो जाए।

—ज्ञानेंद्र जैन